न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 59/2024 G.C.M.S. No. 2024/258 दर्ज दिनांक : 26.07.2024

अपीलार्थिगणः

हिमताराम पुत्र रगाराम, जाति भील, निवासी वेडीया, तहसील आहोर जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. पोमाराम पुत्र मादाजी, जाति चौधरी, निवासी सिराणाख तहसील रोहट जिला पाली
2. रेखा देवी पुत्री पोमाराम पत्नी रमेश कुमार, जाति चौधरी, निवासी सिराणा, तहसील रोहट, जिला पाली
3. देवी सिंह पुत्र सुमेर सिंह, जाति राजपुत, निवासी वेडिया, तहसील आहोर, जिला जालोर
4. जेठ कंवर पत्नी जबर सिंह, जाति राजपूत,निवासी वेडिया, तहसील आहोर जिला जालोर
5. राण सिंह पुत्र जबर सिंह जाति राजपूत निवासी वेडिया, तहसील आहोर जिला जालोर
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार आहोर जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी आहोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2020 बअनवान रेखा देवी बनाम हिमताराम में पारित आदेश दिनांक 12.04.2024

पैरोकारः–

1. श्री सतपाल पुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री पारसमल बराड़ा, श्री अशोक कुमार विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट

निर्णय

दिनांक : 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी आहोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2020 बअनवान रेखा देवी बनाम हिमताराम में पारित आदेश दिनांक 12.04.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

रेस्पोडेन्ट्स की ओर से एक प्रार्थना पत्र सरहद मौजा वेडीया, पटवार हल्का वेडिया भू अ नि भवरानी तहसील आहोर जिला आहोर में रेस्पोडेन्ट देवी सिंह की आराजी के वर्तमान खसरा संख्या–591 रकबा 10.03 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम आयी हुई हैं तथा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की आराजी कृषि भूमि के खसरा संख्या 592 रकबा 9.61 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम आराजी कृषि भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट देवीसिंह की आराजी के खसरा नम्बर 591 के पूर्वी माठ से लगता हुआ पूर्व पश्चिम दिशा की ओर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के खसरा नम्बर 592 की उत्तर दक्षिणी माठ तक आने जाने हेतु रास्ता दिया जावें। राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज हैं इस कारण अप्रार्थी /रेस्पोडेन्ट देवीसिंह के खसरा नम्बर–591 के पूर्वी माठ से लगता हुआ पूर्व पश्चिम दिशा की ओर प्रार्थी /

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रेस्पोडेन्ट के खेत में आने जाने हेतु 20 फीट का नया मार्ग दिया जावें जो प्रस्तावित रास्ता उपरोक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा शैड्यूल में प्रस्तावित रास्ता बनाकर मार्क किया गया हैं। उपरोक्त प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं देकर एकतरफा कार्यवाही करके दिनांक–12.04.2024 को निम्न आदेश पारित किया "प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर–592 श्रक्ज्ञ 9.61 हेक्टर किस्म बारानी प्रथम में आने जाने हेतु अप्रार्थी / अपीलान्ट संख्या–01 के खेत के खसरा नम्बर– 611 रकबा 2.0700 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम में से 6 मीटर चौडा व 172 मीटर लम्बा रास्ता जिसका कुल क्षेत्रफल 1032 वर्गमीटर लम्बा रास्ता आने जाने हेतु नक्शा ए एवं बी की भूमि में से गै. मु. रास्ता प्रयोजनार्थ दर्ज करने हेतु तहसीलदार आहोर को आदेशित किया जाता हैं।"

रेस्पोडेन्ट पोमाराम द्वारा रेस्पोडेन्ट देवीसिंह के विरूद्ध प्रार्थना पत्र 251ए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसके पश्चात् पोमाराम द्वारा उक्त खातेदारी भूमि अपनी पुत्री के नाम से बख्शीश करने के पश्चात् उनके नाम से संशोधित अनवान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट्स ने आपस में सांठगांठ करके जहां से रास्ता नहीं चाहा गया था वहां से अपनी मन मर्जी अनुसार अपीलान्ट की खातेदारी भूमि से रास्ता निकाल दिया गया जबकि प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट पक्षकार भी नहीं था परन्तु दिनांक–12.04.2024 को आवश्यक सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर संशोधित अनवान का प्रार्थना प्रस्तुत कर उसी दिन बहस सुनकर आदेश पारित कर दिया गया

अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई समन नोटिस प्रार्थना पत्र बाबत् नहीं दिया तथा एकतरफा कार्यवाही करके अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय पारित किया गया। अपीलान्ट को किसी प्रकार का समन/नोटिस नहीं भेजा गया न ही तामील करवाया गया तथा न ही पत्रावली के साथ नोटिस/समन की प्रति ही हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए तथा बिना सुनवाई किये गलत रूप से पक्षकार संयोजित करके व वास्तविक पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाकर निर्णय पारित किया हैं।यहां यह वर्णित करना आवश्यक है कि अपीलान्ट हीमताराम पुत्र रगाराम को किसी भी रूप से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुना नहीं गया था अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पोमाराम द्वारा धारा 251ए आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। प्रार्थना पत्र के विचाराधीन होते हुए उसने उसकी पुत्री रेखा देवी के पक्ष में उक्त भूमि का अन्तरण किया गया हैं जबकि न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र विचाराधीन होते हुए किसी प्रकार का बेचान, हस्तान्तरण नहीं किया जाना चाहिए था। रेखा देवी के नाम से उक्त खातेदारी भूमि दर्ज होने के पश्चात् रेखा देवी द्वारा अपने आप को पक्षकार संयोजित करने हेतु नियमानुसार प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया था जबकि धारा 251ए आर.टी. एक्ट के प्रार्थना पत्र में विचाराधीन मामले में पक्षकार हटान व जोडने का कोई मामला नहीं हैं। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र संख्या–03/2020 बअनवान रेखा देवी बनाम हिमताराम वगैरा, निर्णय दिनांक–12.04.2024 न्यायालय सहायक जिला कलेक्टर महोदय आहोर के निर्णय को निरस्त करवाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जालौर

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 पोमाराम ने सरहद मौजा वेडिया पटवार हल्का वेडिया तहसील आहोर में स्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान खसरा संख्या 592 में आने–जाने हेतु अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के खेत खसरा संख्या 591 में से रास्ते की मांग हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 12.04.2024 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की गयी।
2. प्रकरण में सर्वप्रथम धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निर्णयन आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलांट के विरूद्ध विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है, साथ ही प्रकरण में दीर्घ विलम्ब निहित नहीं है तथा विलम्ब अपीलांट की लापरवाही से होना साबित नहीं है। लिहाजा विलंबकाल माफ किया जाना विधिसंगत होगा। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल को माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपनी आराजी तक पहुच के लिए धारा 251क का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 01 देवी सिंह पुत्र सुमेर सिंह व अप्रार्थी संख्या 02 राजस्थान सरकार, के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया एवं अनुतोष की मांग की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिए तलब किया एवं तहसीलदार आहोर से मौका जांच रिपोर्ट तलब की। जिस पर तहसीलदार आहोर द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक भंवरानी की मौका जांच रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की। भू.अ.नि. द्वारा अपनी मौका जांच रिपोर्ट में खसरा संख्या 592 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 611 जिसके अभिलिखित खातेदार अपीलांट हिमताराम वल्द रगाराम कौम भील है, में से रास्ता प्रस्तावित किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपीलांट खातेदार को प्रकरण में पक्षकार संयोजित किए जाने हेतु न तो अधीनस्थ न्यायालय में कोई आवेदन प्रस्तुत किया तथा न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रभावित खातेदार अपीलांट को पक्षकार संयोजित किए जाने बाबत कोई विधिवत आदेश पारित किया न ही अपीलांट प्रभावित खातेदार को जवाब व प्रतिरक्षा का कोई अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में सीधे ही अपीलांट को अप्रार्थी पक्षकार टंकित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो पूर्णतया विधिविरूद्ध व दूषित होने से काबिल अपास्त है।
4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व अपीलाधीन आदेश पुष्टियोग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाकर पत्रावली विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। उपखण्ड अधिकारी आहोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2020 बअनवान रेखा देवी बनाम हिमताराम में पारित आदेश दिनांक 12.04.2024 को अपास्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण में संबधित प्रभावित खातेदारान को पक्षकार संयोजित किए जाने एवं अपीलांट को जवाब एवं प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए उभयपक्षकारान को विधिवत सूचित करवाते हुए, भू–अभिलेख निरीक्षक से अनिम्न राजस्व अधिकारी से नियमानुसार नवीन व स्पष्ट मौका रिपोर्ट मय नक्शा जिसमें प्रार्थी की आराजी तक पहुच के लिए सभी संभावित विकल्प दर्शित किए गए हो, प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई एवं अप्रतिरक्षा का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क एवं राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 से 70 (अधित्यन संशोधित प्रावधानो सहित) का भलीभाति अवलोकन व अनुपालन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप अंतिम रूप से निर्णित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली